

# कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

## बाजार/पड़ाव स्थलों/स्टैण्ड हेतु बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि दिनांक 04.04.2017 से 31.03.2018 तक के लिये होगा।
2. संबंधित बाजारों/पड़ाव स्थल आदि के सामने अंकित जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि Forfeit कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित सफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि ( बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में ) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग, बाजार/हाट बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

क्रमांक	राशि	निर्धारित समय
(i)	10 लाख रु० तक	- 100% उसी दिन
(ii)	10 लाख रु० से ऊपर	- 70% राशि उसी दिन, शेष राशि वित्तीय वर्ष के 31 अक्टुबर तक

7. बन्दोबस्त राशि के विरुद्ध निर्धारित सर्विस टैक्स की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा।
8. L.O.A. निर्गत होने की तिथि से 07 ( सात ) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तरित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अद्योहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेगे।
9. निर्धारित शर्त के उल्लंघन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द किया जा सकता है एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा— विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं भी किया जा सकता है, बल्कि शर्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।
11. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद् संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा।
12. पड़ाव स्थल से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार निगम का होगा।

13. बस स्टैण्ड/वाहन पड़ाव में अवैध भेण्डर (यथा ठेला, खोमचा, गुमटी, अल्पाहार की गाड़िया इत्यादि) पायें जानें पर प्रत्येक के लिए 1,000/-रु० अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। इस निमित प्रत्येक निविदा प्राप्तकर्ता (संवेदक) के द्वारा Performance Security के रूप में राशि जमा करनी होगी। आरोपित अर्थदण्ड की राशि Performance Security की राशि से समायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होने पर उक्त मद में पुनः राशि जमा करना अनिवार्य होगा। इस मद की अवशेष राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संवेदक को वापस कर दी जायेगी।
14. आई०टी०आई० बस स्टैण्ड, जेल रोड ट्रेकर स्टैण्ड के लिए Performance Security की राशि 01 लाख रु० एवं शेष वाहन पड़ाव के लिए राशि 25,000/-रु० निर्धारित की जाती है।
15. गाड़ियां व्यवस्थित ढंग से लगवाना होगा एवं स्वयं सेवकों की सहायता से यातायात व्यवस्थित करना होगा। सभी स्वयं सेवक एक विशेष पोशाक में होंगे, जिसका रंग निगम के द्वारा तय किया जायेगा। बन्दोबस्ती लेने वाले स्वयं सेवकों को पोशाक उपलब्ध करायेंगे।
16. किसी भी निविदा को वगैर कोई कारण बतायें रद्द करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
17. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/चल-अचल संपति का ब्योरा/संबंधित थाना से अभिप्राणित पासपोर्ट साईंज का दो फोटो/जिला प्रशासन से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं सक्षम पदाधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से निर्गत PAN No. संलग्न करना आवश्यक है।
18. पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम जिम्मेवार नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।
19. बन्दोबस्ती स्थल की साफ-सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी। निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया जायेगा कि बन्दोबस्ती स्थल की सफाई नहीं की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 259 के तहत प्रतिदिन 500/- रु० न्यूनतम अर्थदण्ड लिया जा सकता है एवं सफाई स्थल के साफ-सफाई में आने वाले खर्च अलग से वसूल किये जायेंगे। निगम द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड एवं सफाई करने में हुये खर्च की वसूली बन्दोबस्तीधारी के द्वारा दिये गये जमानत की राशि से वसूल की जायेगी।
20. अधिसूचना संख्या 06/ए०/न०वि०/एस०बी०एम०/एस०डब्ल०० एम०/यूजर चार्ज 02/2015/470 दिनांक 15/03/16 के आदेशानुसार सब्जी बाजार के संवेदकों को प्रत्येक सब्जी विक्रेता से प्रतिदिन 7/रु० के दर से सफाई शुल्क वसूल कर कार्यालय में जमा करना होगा।

**नोट:-** मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते हैं।

**ह०/-**

**अपर नगर आयुक्त,**  
राँची नगर निगम, राँची।

**ह०/-**

**नगर आयुक्त,**  
राँची नगर निगम, राँची।

# कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

## बिरसा बस स्टैण्ड के लिए बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि दिनांक 04.04.2017 से 31.03.2018 तक के लिये होगा।
2. संबंधित बाजारों/पड़ाव स्थल आदि के सामने अंकित जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि Forfeit कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित सफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि ( बैंक ड्रफ्ट मूल रूप में ) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग, बाजार/हाट बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

क्रमांक	राशि	निर्धारित समय
(i)	10 लाख रु० तक	— 100% उसी दिन
(ii)	10 लाख रु० से ऊपर	— 70% राशि उसी दिन, शेष राशि वित्तीय वर्ष के 31 अक्टुबर तक

7. बन्दोबस्त राशि के विरुद्ध निर्धारित सर्विस टैक्स की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा।
8. L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेंगे।
9. निर्धारित शर्त के उल्लंघन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द किया जा सकता है एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा— विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं भी किया जा सकता है, बल्कि शर्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।
11. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद् संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा।
12. पड़ाव स्थल से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार निगम का होगा।

13 बसों को व्यवस्थित रूप से लगवाना होगा एवं बसों का आवगमन हेतु यातायात व्यवस्थित करने के लिए कम से कम तीस (30) स्वयं सेवक रखने होंगे, जो कि शिफ्ट वार में कार्य करेंगे। एक शिफ्ट आठ (08) घंटे का होगा। प्रत्येक शिफ्ट में दस (10) स्वयं सेवक होंगे, सभी स्वयं सेवक ड्रेस में होंगे, जिसका रंग एवं प्रकार निगम के द्वारा तय किया जायेगा। बस पड़ाव में खाली बसे निर्धारित स्थान पर ही लगेगी। इस निमित बस स्टैण्ड प्रबंधक—सह—नगर प्रबंधक, बाजार शाखा के द्वारा इस संबंध में दिये गये निदेश बाध्यकारी होंगे। साथ ही निगम के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा समय—समय पर यातायात व्यवस्थित करने के संबंध में दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा। निदेश के अनुपालन नहीं करने पर बन्दोबस्ती रद्द कर दी जायेगी।

14 बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती राशि के अतिरिक्त एक लाख रु० Performance Security के रूप में जमा करना होगा।

15 बस स्टैण्ड परिसर में अवैध Vendor (यथा ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जानें पर प्रत्येक दिन के लिए 2,000/-रु० अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गयी Performance Security की राशि से समायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि से समायोजित कर जी जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होनें पर राशि पुनः जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस मद में शेष राशि संवेदक को वापस कर दी जायेगी।

16 स्वयं सेवक उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में 2,000/-रु० प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं इस राशि को Performance Security की राशि से समायोजित कर लिया जायेगा।

17 किसी भी निविदा को वगैर कोई कारण बतायें रद्द करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

18 आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/चल—अचल संपत्ति का ब्योरा/संबंधित थाना से अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का दो फोटो/जिला प्रशासन से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं सक्षम पदाधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से निर्गत PAN No. संलग्न करना आवश्यक है।

19 पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम जिम्मेवार नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।

20 बन्दोबस्ती स्थल की साफ—सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी। निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया जायेगा कि बन्दोबस्ती स्थल की सफाई नहीं की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 259 के तहत प्रतिदिन 500/- रु० न्यूनतम अर्थदण्ड लिया जा सकता है एवं सफाई स्थल के साफ—सफाई में आने वाले खर्च अलग से वसूल किये जायेंगे। निगम द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड एवं सफाई करने में हुये खर्च की वसूली बन्दोबस्तीधारी के द्वारा दिये गये जमानत की राशि से वसूल की जायेगी। इस निमित 10 (दस) स्वयं सेवक वर्दी में नगर प्रबंधक—सह—प्रबंधक, बिरसा बस स्टैण्ड को उपलब्ध कराना होगा।

**नोट:-** मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते हैं।

रु० /-

अपर नगर आयुक्त,  
राँची नगर निगम, राँची।

रु० /-

नगर आयुक्त,  
राँची नगर निगम, राँची।